उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 17.03.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 17.03.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 17.03.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

होली त्यौहार के दृष्टिगत एक लम्बे अन्तराल के बाद आज दिनांकः- 17.03.2025 को खुल रहे बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

महोबा पुलिस

थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में त्यौहारों को शान्तिपूर्ण माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 17.03.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित की गई वरि0उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 48/2025 धारा 64/332(ख) BNS व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त दीपक उर्फ विपत उर्फ वित्तू पुत्र शम्भूदयाल राजपूत उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम परापातर थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा को ग्राम रिवई तिराहे के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्वयाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी
2. हे0कां0 रत्नेश सिंह
3. कां0 अरुण कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

दीपक उर्फ विपत उर्फ वित्तू पुत्र शम्भूदयाल राजपूत उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम परापातर थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा

थाना चरखारी की संयुक्त पुलिस टीम ने पाक्सो एक्ट में वांछित 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद महोबा को अपराधमुक्त और सुरक्षित परिवेश प्रदान किये जाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक- 17.03.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थाना चरखारी थानाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

संयुक्त पुलिस टीम ने थाना चरखारी में पंजीकृत अभियोग क्रमशः मु0अ0सं0 39/2025 धारा 137(2)/87/64(1) BNS 4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दीपक प्रजापति पुत्र जानकी प्रजापति उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम धनौरा थाना राठ जनपद हमीरपुर को थानाक्षेत्र के ग्राम गौरहारी के पास से तथा मु0अ0सं0 48/2025 धारा 127(2)/76 बीएनएस व 9/10 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अजय सिंह पुत्र हनुमत सिंह उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम टोला सोयम थाना चरखारी जनपद महोबा को थानाक्षेत्र के सूपा चौराहा कस्बा चरखारी जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. दीपक प्रजापति पुत्र जानकी प्रजापति उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम धनौरा थाना राठ जनपद हमीरपुर
2. अजय सिंह पुत्र हनुमत सिंह उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम टोला सोयम थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीमः-

(प्रथम टीम)

1. उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह
2. कां0 मो0कामिल

(द्वितीय टीम)

1. उ0नि0 शुभम सिंह
2. हे0का0 प्रमोद कुमार 3. कां. राम सिंह